



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 6] नई दिल्ली, मार्च 3—मार्च 9, 2013, शनिवार/फाल्गुन 12—फाल्गुन 18, 1934  
No. 6] NEW DELHI, MARCH 3—MARCH 9, 2013, SATURDAY/PHALGUNA 12—PHALGUNA 18, 1934

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4  
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश  
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

( रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग )

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2013

का.नि.आ. 12.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, समूह 'ग' ( प्रशासनिक सहायक 'ए' पद ) पद भर्ती नियम, 2010, जहां तक इसका संबंध प्रशासनिक सहायक 'ए' के पद से है, को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय में प्रशासनिक सहायक 'ए' के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(i) इन नियमों को रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, समूह 'ग' ( प्रशासनिक सहायक 'ए' पद ) पद भर्ती नियम, 2013 है ।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण व वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन और वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

## 4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इन नियमों के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड या ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रशासनिक सहायक 'ए'	511* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु.	अचयन	18-27 वर्ष <b>टिप्पण 1 :</b> केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों आदि के लिए ऊपरी आयु सीमा 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। <b>टिप्पण 2 :</b> आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए प्रत्येक मामले में निर्णायक तारीख, पदों के विज्ञापन में विनिर्दिष्ट आवेदन प्रपत्र प्राप्ति करने की अंतिम तारीख होगी।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो

(7)

(8)

(9)

आवश्यक :

मान्यताप्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से कक्षा 12 उत्तीर्ण अथवा समतुल्य।

हां, जैसा स्तंभ 11 में निर्दिष्ट है

दो वर्ष

(7)

कम्प्यूटर पर कौशल परीक्षण मानक :  
अंग्रेजी टंकण 35 शब्द प्रति मिनट की दर से हिन्दी टंकण  
30 शब्द प्रति मिनट की दर से (निर्धारित समय- 10 मिनट)  
(35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट प्रत्येक शब्द  
के लिए औसतन 5 की डिप्रेशन्स पर (10500  
केडीपीएच/9000 केडीपीएच के बराबर हैं ।

**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा  
या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों  
द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/  
प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

(10)

(11)

85 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और 15 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा

**प्रोन्नति :**

(i) विभागीय योग्यता परीक्षा के आधार पर 1800 रु. ग्रेड  
वेतन वाले समूह 'ग' कर्मचारी जो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा  
समतुल्य हों और इस श्रेणी में 3 वर्षों की नियमित सेवा  
की हो, दस प्रतिशत विभागीय परीक्षा द्वारा प्रोन्नति

(i) 1800 रु. ग्रेड वेतन वाले समूह 'ग' कर्मचारी जो 12वीं कक्षा पास अथवा  
समतुल्य हों और इस श्रेणी में 3 वर्षों की नियमित सेवा की हो, और जिनके पास  
सीधी भर्ती के विहित अर्हताएं या समतुल्य अर्हताएं हो, दस प्रतिशत विभागीय  
परीक्षा के आधार पर प्रोन्नति द्वारा ।

(ii) पाँच प्रतिशत ऐसे समूह 'ग' कर्मचारी, जिन्होंने 1800 रु.  
ग्रेड वेतन वाले पद में तीन साल की नियमित सेवा की हो,  
चयन के आधार पर प्रोन्नति द्वारा ।

**टिप्पण 1 :** परीक्षा के लिए योग्यता हेतु अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष है  
(अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 50 वर्ष की आयु)  
**टिप्पण 2 :** यदि उपलब्ध रिक्तियों से अधिक कर्मचारी परीक्षा में योग्य पाये  
जाते हैं तो ऐसे अतिरिक्त कर्मचारियों पर आने वाले वर्षों में उत्पन्न होने वाली  
रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा जिससे पहले परीक्षा उत्तीर्ण  
करने वाले कर्मचारियों पर बाद में परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों से पहले विचार हो  
जाये ।

(ii) पांच प्रतिशत ऐसे समूह 'ग' कर्मचारी, जिन्होंने 1800 रु. ग्रेड वेतन के पद  
में तीन साल की नियमित सेवा की हो, चयन के आधार पर प्रोन्नति द्वारा और  
जिनके पास सीधी भर्ती के विहित अर्हताएं या समतुल्य अर्हताएं हो ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग  
से परामर्श किया जाएगा

(12)

(13)

**विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि और प्रोन्नति के लिए) :—**

लागू नहीं होता ।

1. संबंधित स्थापन या प्रयोगशाला का प्रधान —अध्यक्ष
2. संबंधित स्थापन या प्रयोगशाला के दो ज्येष्ठ अधिकारी —सदस्य
3. किसी अन्य स्थापन/प्रयोगशाला या मुख्यालय से एक  
अधिकारी, जो संबंधित प्रयोगशाला/स्थापन के सदस्यों  
के समतुल्य या उनसे ऊपर के रैंक का हो —सदस्य

[मिसिल सं. डीएचआरडी/76257/आर आर/प्रशासन/सी/पी/03]

एस. डी. भसौर, अवर सचिव

**MINISTRY OF DEFENCE**

**(Department of Defence Research and Development)**

New Delhi, the 15th February, 2013

**S.R.O. 12.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organization, Group 'C' (Administrative Assistant 'A' post) Recruitment Rules, 2010, in so far as it relates to the post of Administrative Assistant 'A', except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of Recruitment to the post of Administrative Assistant 'A' in the Ministry of Defence, the Department of Defence research and Development, namely :—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organization, Group 'C' (Administrative Assistant 'A' Post) Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of posts, classification and pay band and grade pay or pay scale.**—The number of posts, its classification and the pay band, grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (1) to (4) of the said schedule annexed to these rules.

**3. Method of Recruitment, age-limit and other qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

**4. Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation in age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

**SCHEDULE**

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether Selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Administrative Assistant 'A'	511*(2013) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial	Pay Band-1, Rs. 5200— 20200 plus Grade Pay Rs. 1900	Non-selection	Between 18 and 27 years. <b>Note 1.</b> Relaxable for Government Servants upto 40 years in the case of general candidates and upper age

(6)

relaxable for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Ex-serviceman, etc as per orders of Central Government issued from time to time.

**Note 2.**—The crucial date for determination of the age-limit in the case of candidates shall be the last date of receipt of application from as specified in the advertisement of the posts.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
<p><b>Essential :</b> 1. 12th Class pass or equivalent from a recognised Board or University.</p>	yes, to the extent indicated on Col-11	Two years
<p><b>Skill test norms on Computer :</b> English Typing @ 35 words per minutes or Hindi Typing @ 30 words per minutes (Time allowed -10 minutes.)  (35 words per minutes and 30 words per minutes correspond to 10500 KDPH/9000 KDPH on an average of 5 key depressions for each word).</p>		
<p><b>Method of recruitment :</b> Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods</p>	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	
(10)	(11)	
<p>Eighty five percent by direct recruitment and fifteen percent by promotion. (i) Ten percent by promotion through Departmental examination from Group 'C' staff in the Grade Pay of Rs. 1800 and who possess 12th Class pass or equivalent qualifications and had rendered 3 years regular service in the grade on the basis of departmental qualifying examination.</p>	<p><b>Promotion :</b> (i) 10% by promotion through Departmental Examination from Group 'C' staff in the Grade Pay of Rs. 1800 and who possess 12th Class pass or equivalent qualification and have rendered 3 years regular service in the grade and possessing the educational qualification prescribed for direct recruitment or equivalent qualification.</p>	

(10)	(11)
(ii) Five percent by promotion on the basis of selection from amongst Group 'C' employee who have rendered three years regular service in posts with the grade pay of Rs. 1800	<p><b>Note 1</b> : The maximum age limit for eligibility for examination is 45 years (50 years of age for Schedule Castes/Schedule Tribes).</p> <p><b>Note 2</b> : If more of such employees than the number of vacancies available are qualified at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination.</p> <p>(ii) Five percent by promotion on the basis of selection from amongst Group 'C' employees who have rendered three years regular service in posts with the Grade Pay of Rs. 1800 and possessing the educational qualification prescribed for direct recruitment or equivalent qualification.</p>

(12)	(13)
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

**Departmental Promotion Committee for consideration promotion and for confirmation consisting of :—**

1. Head of the concerned Establishment or Laboratory —Chairman
2. Two senior officers of the concerned Establishment or Laboratory —Members
3. An Officer from another Laboratory/ Establishment or Headquarters equivalent to or above the rank of the members of the concerned Laboratory/Establishment —Member

Not applicable.

[ F. No. DHRD/76257/RRs/Admin/C/P/03]

S.D. BHASOR, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2013

**का.नि.आ. 13.**—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय कैडेट कोर, अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम 31) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय कैडेट कोर (संशोधन) नियम, 2013 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. राष्ट्रीय कैडेट कोर नियम, 1948 में,-
  - (i) नियम 5 के खंड (ख) में, '24 वर्ष की आयु के भीतर' शब्दों और अंकों के स्थान पर "26 वर्ष की आयु के भीतर" शब्द और अंक रखे जाएंगे;
  - (ii) नियम 12 के उपनियम (1) में निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-
    - (1) "इन नियमों के भाग 7 के उपबंधों के अध्वधीन रहते हुए, सेना, नौसेना और वायु सेना राष्ट्रीय कैडेट कोर के सीनियर डिवीजन/सीनियर विंग में अभ्यावेदन के लिए स्वीकृत प्रत्येक व्यक्ति तीन वर्ष की कालावधि के लिए अभ्यावेशित किया जाएगा।"